"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 96] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मार्च 2013—फाल्गुन 27, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013 (फाल्गुन 27, 1934)

क्रमांक-4425/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 8 सन् 2013) जो दिनांक 18 मार्च, 2013 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 8 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 25 सन् 2006) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 7 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 25 सन् 2006), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 में, अंक एवं शब्द "वर्ष के 31 अक्टूबर" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "वर्ष की 31 जुलाई" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 12 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) में, अंक एवं शब्द "संबंधित वर्ष 31 मई" के स्थान पर अंक एवं शब्द "संबंधित वर्ष की 31 जनवरी" प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाये गये परिनियम उपबंधित करते हैं कि कोई महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करना चाहता है, को उस वर्ष की 28 फरवरी तक आवश्यक रूप से आवेदन प्रस्तुत करना होगा जबकि छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 की धारा 7 उपबंधित करती है कि कोई महाविद्यालय जो आवेदन करने की वांछा रखता है को वर्ष के 31 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से ऐसा आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन उक्त आवेदन पर कार्यवाही उपरान्त संबंधित वर्ष की 31 मई तक प्राधिकारी अनुमति प्रदान करते हैं. इन दोनों तिथियों में विसंगति के कारण परिनियम के प्रावधान का उनकी मूल भावना के अनुसार पालन नहीं हो पाता. अतएव यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 की धारा 7 एवं 12 में संशोधन द्वारा इस विसंगति को दूर किया जाए.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 13 मार्च, 2013

रामि[illegible]र नेताम
उच्[illegible]शिक्षा मंत्री
(भार[illegible]धक स[illegible]स्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 25 सन् 2006) की जिन धाराओं में संशोधन प्रस्तावित है उनका उपाबंध निम्नानुसार है :—

* * * * * * * * * * * * * *

अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन — धारा 7

"महाविद्यालय खोलने की आकांक्षा रखने वाली ऐसी कोई भी समिति, जो "छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973" के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत हो, इस बारे में निर्धारित विधि से निम्नांकित प्रलेखों के साथ शिक्षा सत्र के पूर्व वर्ष के 31 अक्टूबर के पूर्व आयुक्त को आवेदन कर सकती है :—"

* * * * * * * * * * * * * *

अनुमति का प्रदाय धारा 12 की उपधारा (2)

"अनुमति दिये जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी नियत समय में ऐसी शर्तें, जैसी कि, विहित की जाये, की पूर्ति के आशय को दर्शाते हुए पत्र जारी करेगा. तथापि यह किसी भी स्थिति में संबंधित वर्ष 31 मई से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा. सम्बन्धित शैक्षणिक एजेन्सी सक्षम अधिकारी को आशय पत्र में दर्शायी गई कमियों को पूरा करने विषयक सूचना देगा. आगे यह भी कि, उक्त एजेन्सी आगामी शिक्षण सत्र में संस्था प्रारम्भ करने हेतु अन्तिम निरीक्षण के लिए अनुरोध करेगा, उसके पश्चात् शैक्षिक संस्थान सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के बाद तत्काल सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्पर्क करेगा."

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.